न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– रेनू मीना (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय(पर्चा डिक्री)
1/569/2000	26.12.2000	14.11.2019

उनवान

1. भगवानसिंह पुत्र रियादसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर। मृतक जर्ये वारिसान –
   1/1 जगतारसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह,
   1/2 अवतार सिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह,
   1/3 पूरणसिह पुत्र स्व0 भगवानसिंह,
   1/4 जगदीशसिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह, निवासियान ग्राम बरवाडा कोठीबास तहसील रामगढ जिला अलवर।
   1/5 पारोबाई पत्नी रूपसिंह पुत्री स्व0 भगवानसिंह निवासी ग्राम खरसनकी तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर।
   1/6 इन्द्रोबाई पत्नी कक्कासिंह पुत्री स्व0 भगवानसिंह निवासी ग्राम घाटला पडीसल थाना खैरथल जिला अलवर।
   1/7 हुकमीबाई पत्नी जंगीरसिंह पुत्री स्व0 भगवानसिंह निवासी ग्राम खारेटा तह0 मुण्डावर जिला अलवर।
   1/8 चरणकौर पत्नी करनैलसिंह पुत्री स्व0 भगवानसिंह निवासी ग्राम सैदमपुर दौडोली तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. सुवासिंह पुत्र मृतक इन्दरसिंह
2. गुरूबक्शसिंह पुत्र इन्दरसिंह
3. राजेन्द्रसिंह उर्फ लाखासिंह पुत्र इन्दरसिंह,
4. श्रीमती भोली पुत्री इन्दरसिंह
5. श्रीमती सुन्दरकौर पुत्री इन्दरसिंह
6. श्रीमती गुरदीपकौर पुत्री इन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
7. ठाकरसिंह पुत्र श्री महासिंह ।

..... प्रतिवादीगण

8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

..... तकमीली प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा एडवोकेट – वादीगण
2. श्री राकेश यादव एडवोकेट – प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जिसका हाल सैटलमेन्ट में हाल खसरा नम्बर 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी भगवानसिंह व प्रतिवादी सं0 1 इन्दर सिंह तथा प्रतिवादी सं0 2 महेन्द्र कौर का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसान सुवासिंह, गुरूबक्शसिंह व राजेन्द्र सिंह उर्फ लाखासिंह बहैसियत वारिस काबिज जायदाद हो गये है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की लडकिया श्रीमती भोली, श्रीमती सुन्दर कौर व श्रीमती गुरूदीपकौर ने अपना हक त्याग अपने तीनों भाई सुवासिंह, गुरूबक्शसिह व राजेन्द्र सिंह उर्फ लाखासिंह के पक्ष में कर दिया है। उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, उक्त आराजी से प्रतिवादी सं0 3 ठाकर सिंह का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है तथा मृतक भगवानसिंह के वारिसान वादी सं0 1/1 ला0 1/4 उक्त आराजी के 2/3 भाग के काबिज काश्तकार खातेदार है तथा रहेंगा, उक्त वादी सं0 1/1 ला0 1/4 को 2/3 भाग की आराजी का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी 1/1 ला0 1/6 व प्रतिवादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा कलमजन किया जाता है। शेष हिस्सा बन्दस्तूर रहेगा। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.11.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

रेनू मीना
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

निर्णय

(2)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जिसका हाल सैटलमेन्ट में हाल खसरा नम्बर 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित भूमि में मिन वादी अरसे दराज से अपने पिता के जीवनकाल के सालिम रकबे पर काश्त करता रहा है जमाबन्दी सम्वत 2009 में दीगर आराजी के साथ वादी के पिता रियादसिंह के नाम का इन्द्राज है बाद में सरदारसिंह की सह काश्तकार कर लिया गया और उसके बाद इस विवादित आराजी में मिन वादी अपने पिता रियादसिंह के मरणोपरान्त 2/3 भाग यानि 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता रहा ओर अब भी मौके पर काबिज है जमाबन्दी सम्वत 2013 व गिरदावरी सम्वत 2009 ला0 2013 व उसके बाद भी इन्द्राजात इसी प्रकार मुताबिक मौका वादी के नाम के होते रहे है इस प्रकार वादी इस विवादित आराजी में 2/3 भाग यानि 4 बीघा 3 बिस्वा का काबिज काश्तकार व खातेदार है और काबिज है। प्रतिवादीगण का इस विवादित आराजी के 1/3 भाग पर ही रहा है परन्तु उन्होनें बतौर बदयान्ति कर्मचारियान सैटिलमेन्ट से मिलकर सैटलमेन्ट हाल सम्वत 2028 में सैटिलमेन्ट के पूर्व के इन्द्राजसम्वत 2009 व जमाबन्दी सम्वत 2013 व मौके के विपरीत वादी के नाम का इन्द्राज के बजाय 2/3 भाग के 1/3 भाग में व 2/3 भाग का इन्द्राज अपने नाम विवादित आराजी के कब्जे काश्त के खाने में करा लिया जो इन्द्राजात गलत है और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिसके कायम रहने से वादी के हकूक कब्जे काश्तकारी व खातेदारी जायल होते हैं और इसी गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 4 ने विवादित आराजी में से 1/3 भाग का कीमत कर्जा वादी से लेकर पटटा सं0 5351 दिनांक 12.06.97 को वादी के नाम जारी कर दिया और इन्तकाल खातेदारी इन्तकाल सं0 538 दिनांक 04.08.97 को विवादित आराजी में 1/3 भाग का वादी के नाम जारी कर दिया जिसका इल्म मुझे यानि गलत इन्द्राज का इल्म मुझे वक्त पटटा दिनांक 12.06.97 को हुआ। इसकी बाबत प्रतिवादी सं0 7 से कहा तो उसने कहा कि प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्ती का दावा कर इन्द्राज दुरूस्ती कराओ तो 1/3 भाग की कीमत कर्जा लेकर तुम्हारे हक में सनद जारी कर दी जावेगी।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ला0 6 मशवरे इसके कि वादी आराजी साबिक खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जिसका हाल सैटलमेन्ट में हाल खसरा नम्बर 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में 2/3 भाग यानि 4 बीघा 3 बिस्वा रकबे का काबिज काश्तकार व खातेदार है और काबिज है सैटलमेन्ट बन्दोबस्त हाल जो सम्वत 2028 में मुक्कमिल हुआ है उसमें प्रतिवादीगण ने कर्मचारियान सैटिलमेन्ट से मिलकर साबिक जमाबन्दी सम्वत 2009 व सम्वत 2013 के इन्द्राज के विपरीत इस आराजी उपरोक्त के कब्जे काश्त के खाने में 2/3 भाग का अपने नाम व 1/3 भाग का वादी के नाम का इन्द्राज जो करा लिया है वह गलत है ओर खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिस इन्द्राज को कलमजन करवाकर उसके बजाय वादी उपरोक्त आराजी के कब्जे काश्त के खाने में 2/3 भाग में यानि 4 बीघा 3 बिस्वा में अपने नाम का इन्द्राज बहैसियत काबिज काश्तकार व खातेदार के दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि दावा हाजा में वादी भगवानसिंह व प्रतिवादी सं0 1 इन्दर सिंह तथा प्रतिवादी सं0 2 महेन्द्र कौर का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसान सुवासिंह, गुरूबक्शसिंह व राजेन्द्र सिंह उर्फ लाखासिंह बहैसियत वारिस काबिज जायदाद हो गये है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की लडकिया श्रीमती भोली, श्रीमती सुन्दर कौर व श्रीमती गुरूदीपकौर ने अपना हक त्याग अपने तीनों भाई सुवासिंह, गुरूबक्शसिह व राजेन्द्र सिंह उर्फ लाखासिंह के पक्ष में कर दिया है। उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, उक्त आराजी से प्रतिवादी सं0 3 ठाकर सिंह का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है तथा मृतक भगवानसिंह के वारिसान वादी सं0 1/1 ला0 1/4 उक्त आराजी के 2/3 भाग के काबिज काश्तकार खातेदार है तथा रहेंगा, यदि उक्त वादी सं0 1/1 ला0 1/4 को 2/3 भाग की आराजी का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तो इसमें मिन प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाने की कृपा करे।

वादीगण ने दावे के समर्थन में स्वयं वादी जगतार सिंह पीडब्लू–1, करनेलसिंह पीडब्लू–2 के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2049 ईएक्स–1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2013 ईएक्स–2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2008 ईएक्स–3, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 ईएक्स–4, नकल गिरदावरी सम्वत 2053 ईएक्स–5, कस्टोडियन पटटा सं0 5351 दिनांक 12.06.97 ईएक्स–6 पेश की गई।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश राजीनामा पर गौर किया तथा पक्षकारानों को पढकर सुनाया गया। वादीगण की पहचानकर्ता उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द सतीजा द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण 1/1–1/6 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री राकेश यादव द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा राजीनामा को तस्दीक किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है व उक्त राजीनामें प्रतिवादी 1/1–1/6 व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा किया गया विक्रय पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा यथावत रहेगा।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा जिसका हाल सैटलमेन्ट में हाल खसरा नम्बर 1101 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ वाके ग्राम बरवाडा तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी भगवानसिंह व प्रतिवादी सं0 1 इन्दर सिंह तथा प्रतिवादी सं0 2 महेन्द्र कौर का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के वारिसान सुवासिंह, गुरूबक्शसिंह व राजेन्द्र सिंह उर्फ लाखासिंह बहैसियत वारिस काबिज जायदाद हो गये है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की लडकिया श्रीमती भोली, श्रीमती सुन्दर कौर व श्रीमती गुरूदीपकौर ने अपना हक त्याग अपने तीनों भाई सुवासिंह, गुरूबक्शसिह व राजेन्द्र सिंह उर्फ लाखासिंह के पक्ष में कर दिया है। उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, उक्त आराजी से प्रतिवादी सं0 3 ठाकर सिंह का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है तथा मृतक भगवानसिंह के वारिसान वादी सं0 1/1 ला0 1/4 उक्त

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

आराजी के 2/3 भाग के काबिज काश्तकार खातेदार है तथा रहेंगा, उक्त वादी सं0 1/1 ला0 1/4 को 2/3 भाग की आराजी का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी 1/1 ला0 1/6 व प्रतिवादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा कलमजन किया जाता है। शेष हिस्सा बन्दस्तूर रहेगा। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर आज दिनांक 14.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)